न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण

(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 196/2017

GCMS No. : 2017/00356

–:: अप्रार्थी/वादी ::–	बनाम	–:: प्रार्थी/प्रतिवादीगण ::–
1. सोहनलाल पुत्र पाबुराम जाति– कुमावत, निवासी– ग्राम खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिल– पाली राज0।		1. तुलसाराम पुत्र कानाराम 2. नारायण पुत्र कानाराम 3. दिनेश पुत्र तुलसाराम 4. सुगनाराम पुत्र कानाराम जातियान– कुमावत, निवासी– ग्राम खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिल– पाली राज0। 5. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

तारीख रजू –:.16/10/2017

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी/वादी।
2. श्री चावण्ड दान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी/प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 16/09/2020**

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया कि उपरोक्त अनवान में प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत प्रतिवादी संख्या चार की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न है यह है कि सरहद मौजा खीनावड़ी पटवार हल्का फूलमाल तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 5 रकबा 1–08 बीघा किस्म चाही दोयम आई हुई है जिसका कब्जा प्रतिवादी को पुखराज ने दिनांक 01.03 .1971 एक तीन इकहतर को जरिये लिखित बैचान हकूक खातेदारी के सुपुर्द कर दिया था, तब से प्रतिवादीगण इस खसरा नम्बर 5 पांच की भूमि में ओड़ी, रहवासीय मकान, बाडा बना कर शांतिपूर्वक खुले रुप से एज ऑफ राईट के बिना किसी बाधा व रोक टोक के बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है इस भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है मगर दिनांक 05.07. 1998 को प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि व भू–भाग में दखलांदाजी बेदखल की ऐलानिया धमकी देने पर वादी व अन्य को विरूद्ध माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 70/1998 अनवान कानाराम व अन्य बनाम दाखुडी वगैराह बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा आराजी अन्तर्गत 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। उक्त राजस्व वाद संख्या 70/1998 जो आज दिन तक माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी आदेश पंजिका मय वाद पत्र की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 1–08 बीघा किस्म चाही का वाद

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.07 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

ननीय न्यायालय में पूर्व से लम्बित रहते हुये वादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् यह वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चात्वर्ती वाद की विषय वस्तु एक ही एक है तथा वाद उनकी पक्षकारों एवं उनके प्रतिनिधियों के मध्य प्रस्तुत किया गया है व वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल किए गए वाद में मामला एक समान है व अनुतोष भी समान है इसलिए पूर्ववर्तीवाद की कार्यवाही के विचाराधिन रहते हुए पश्चात्वर्ती वाद कार्यवाही कानूनन चलने योग्य नहीं है इसलिए पश्चात्वर्ती इस वाद की कार्यवाही पूर्ववर्ती वाद संख्या 70/1998 के अन्तिम निरस्तारण तक स्थागित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पूर्ववर्तीवाद के अन्तिम निस्तारण तक इस वाद की कार्यवाही स्थागित करने का आदेश फरमावें। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

वकील अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि :- यह है कि पार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि सरहद मौजा खीनावडी पटवार हल्का फूलमाल के खसरा नम्बर 5 रकबा 1-8 बीघा, की कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त आराजी बाबत् जो पूर्व मे वादपत्र चला वह वादपत्र घोषणा तकासमा का था तथा जिसमे मुख्य अनुतोष घोषणा व बंटवाडे का है जबकि इस वादपत्र में मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का है। पूर्ववती वादपत्र में अनेक खसरे थे जबकि इसमे तथाकथित एक खसरा ही है तथा दोनो वादपत्र मे पक्षकारान् भी अलग अलग है तथा अनुतोष भी अलग अलग है। दोनो वादपत्रो की प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। इसलिए पश्चात्वर्ती वादपत्र पूर्ववती वादपत्र से प्रभावित नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या दो का जवाब है कि जहां पर पूर्ववती वादपत्र व पश्चात्वर्ती वादपत्र की प्रकृति भिन्न हो तथा पक्षकारान भी अलग अलग हो एवं विवाद की विषय वस्तु अलग हो वहां पर किसी भी वादपत्र को नही रोका जा सकता है और इसी अनुरूप पश्चात्वर्ती वादपत्र मे जो अनुतोष है जो स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है इसलिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/वादी एवं विधिक प्रावधानों का अध्ययन, अवलोकन करते हुए विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनते हुए उस पर मनन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा ग्राम- खिनावड़ी की खसरा संख्या 5, रकब 1-08 बीघा आराजी पर विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा में ही इसी आराजी से संबंधित पूर्ववर्ती वाद संख्या 70/1998 अनवान कानाराम व अन्य बनाम दाखूड़ी वगैरह का विचाराधीन है जो कि घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा और खाता विभाजन से संबंधित है प्राथी द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वादपत्र एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन पूर्ववती <u>वाद संख्या 70/1998</u> अन्य खसरा संख्याओं के साथ-साथ खसरा संख्या 5 जिस[illegible] भी संबंधित है, पूर्ववर्ती वाद में मुख्य अनुतोष घोषणा, स्थाई निषेधा[illegible] एवं [illegible]टवाड़ा करवाना है, साथ ही हस्तगत वाद के वादीगण भी पूर्ववर्ती [illegible] पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2020.10.07 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रोजित है। इस प्रकार हस्तगत वाद के वादीगण को पूर्ववर्ती वाद में अपना पक्ष रक्षण का पर्याप्त अवसर एवं अधिकार उपलब्ध है।

इस प्रकार हमारा विनम्र अभिमत है कि हस्तगत वाद एवं पूर्ववर्ती वाद में विवाद्यः प्रत्यक्षतः एवं सारतः एक समान है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए हस्तगत वाद पर विचारण रोकते हुए इसी स्तर पर वादपत्र अस्वीकार करना विधि सम्मत रहेगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अंतर्गत धारा 10, सपठित धारा 151 सि. प्र. सं. भलीभाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादी के वाद पत्र पर विचारण रोका जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 16/09/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.07 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested